(Rs. in crores

Year	Net Profit (BALCO)	Loss at Bidhanbagh Unit (West Bengal)	Derived Profit Korba Plant. M. P without taking into account the loss incurred by Bidhanbag Unit.
1990-91	1.77	—4.55	6.32
1991-92	1.38	—3.45	4.83
1992-93	2.59	—5.35	7.94

(b) The installed capacity of Korba Aluminium Complex is 1,00,000 tonnes of saleable metal per annum. The production of saleable metal for the last three years is given below:

Year	Production (in tonnes)
1990-91 . . .	91,745
1991-92 . .	92,011
1992-93 . . .	91,.47

Investment made as on 31-3-1993 is given below :—

1. Korba (including two Captive mines at Amarkantak and Phutkapahar).	— Rs. 344.90 crores.
2. Captive Power Plant	— Rs. 437.32 crores.
TOTAL :	— Rs. 782.22 crores.

(c) No Sir.

(d) and (e) Do not arise.

राज्य सरकारों को खानों का आवंटन

2194. **श्री शिव चरण सिंह :** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्र सरकार नियम बनाकर राज्य सरकारों को खानों का आवंटन करती है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा नियमों/कानूनों का उल्लंघन किए जाने के मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और गत तीन वर्षों के दौरान कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि खान के प्रत्येक पट्टाधारी को खान का संचालन स्वयं करना चाहिए और इसे आगे किराए पर देना कानूनी अपराध है ; यदि हां, तो क्या विभाग इसकी जांच करता है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो कितने पट्टों को रद्द किया गया है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) खनिज राज्य सरकारों की सम्पत्ति है, जो कानून के मुताबिक खनन रियायतें मंजूर करती है । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को कोई खान आवंटित नहीं करती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं । पट्टों को आगे किराए पर देने की शर्तें खनिज रियायत नियम के नियम 37 में दी गई है ।

Development of Malanjkhand Deposits

2195. **MISS SAROJ KHAPARDE:** Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether Government have since examined the detailed feasibility report